

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला बांगलूर

अन्वयान मन्वीत कर बनाम कस्तूर सिंह शर्मा

प्रकरण संख्या 06 / 2019 अन्तर्गत धारा आ. २१ वि. 11 CPC

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज
30/10/24	<p>प्राची व प्राची अधिवक्ता उपस्थित नहीं। प्राची व प्राची अधिवक्ता को रुक-रुक कर 3 बार आवाज लगावाई गई। कोई उपस्थित नहीं आए। प्राची का प्राची पत्र आ. २१ वि. 11 CPC अदम पेशी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली निगीत होकर नुम्बर से कम होकर दाखिल होकर है।</p>



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर